

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र



क्रमांक 132 / चूरु / 2008 - 2009

यह प्रमाणित किया जाता है कि सुदीर्घ शिक्षण संस्थान
कानूता तहसील सुजानगढ़
जिला चूरु का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958
(राजस्थान अधिनियम संख्या - 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण
आज किया गया।

यह प्रमाण - पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 28/12/2008 माह फरवरी सन् दो हजार ११
को चूरु में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं
चूरु